- Regd -

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector
****

No. SML-SR(57)/2014 267. Dated: 07/04/2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-86-80 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, HP PWD Theog for Construction of link road from Chelari to Lower Kiara (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Theog in Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-86-80 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 22 annexure_____.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above

(DINESH MALHOTRA)
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
District Collector
Shimla District (H.P.)

Collector Shimla District

SHIMLA

Received
8/9/015

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMSSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Dinesh Malhotra, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 16-03-2015 at 11.30 A.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha , claiming rights in Village Kot-kiara forest area(s) 0-86-80 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Theog were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil—	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil—	

OR

As informed by SDO (Civil) Theog, no application was received from Kot & Kiara Gram Sabha claiming right in 0-86-80 hect forest area.

Place:Shimla

Deputy Commissioner-Cum- Chairman

Date:16-03-2015

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 16-03-2015 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI DINESH MALHOTRA,IAS, DEPUTY COMMISSIONER , SHIMLA.

The following members of the District Level Forest Right Committee were present.

1. Shri D.K. Rattan, Addl. District Magistrate, Shimla — Member Secy
2. Shri Raman Sharma, Divisional Forest Officer, Shimla — Member
3. Dr.Neeraj Kumar, IFS,Divisional Forest Officer, Theog — Member
4. Shri Parveen Thakur, IFS, Divisional Forest Officer, Kotgarh — Member
5. Shri Ashok Chauhan, Divisional Forest Officer, Rohru — Member

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total 25 cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.

Sub-Division Shimla-Rural

The following 07 cases have been received from the Sub-Divisional Committee Shimla-Rural and placed before the District level Forest Right Committee:-

1. C/o LWSS from Sainj Khad to Gharog Ghandal
2. C/o Health Sub Centre Neen
3. C/o Play Ground at Shilru
4. C/o Health Sub Centre Banan
5. C/o Link road Chailly Khurd
6. C/o 2nd Campus of HP University at Padech
7. C/o Link road to Village juni

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Shimla-Rural has recommended the cases on the report/ reccomendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommened by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the cases under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, as there is No claim pending in respect of the above proposal for diversion of forest land in Tehsil Shimla-Rural, District Shimla.

Sub-Division Shimla-Urban

1. C/o Ambulance road Panjri School to Lower Panjari

Only one case has been received from the Sub-Divisional Committee Shimla-Urban and placed before the District level Forest Right Committee:-

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Shimla-Urban has recommended the case on the report/ reccomendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommened by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the case under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act.

The meeting ended with vote of thanks.

20/3/15

Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

कार्यालय ग्राम पंचायत क्यारा

विकास खण्ड व तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0

5269
23/12/14

उप-प्रधान: जगत राम

प्रधान प्रकाश चन्द

अनापत्ति प्रमाण पत्र!

दिनांक 25-11-2014

सन्दर्भ..... जो दिनांक 25-11-2014 को

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या 08. सदस्य की

प्रधान श्री प्रकाशचन्द की अध्यक्षता में सदस्य की

उपस्थिति में ग्राम पंचायत/~~ग्राम सभा~~ क्यारा की बैठक में पारित हुआ।

विषय: निर्माण सड़क चेलरी मोड़ से हलिल्ला बस्ति क्यारा के अन्तर्गत लगने वाली भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे विचार!

यह है कि मुख्य सड़क शिलारू से क्यारा के मध्य से निकाले जाने वाले सम्पर्क मार्ग चेलरी मोड़ से ठा0 बस्ति क्यारा के बीच ग्राम पंचायत क्षेत्र क्यारा के अंतर्गत जो नीजी व सरकारी भूमि इस्तेमाल होनी है उसके लिए ग्राम क्यारा के निवास लोगों की जमीन सड़क में जा रही है, जिके द्वारा गिफ्ट डीड (हलिल्ला क्यारा) हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के कार्यालय भवाना में दे दी गई है, तथा सुरक्षित है। व सरकारी भूमि के लिए अनुसूचित जनजाति वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समिति ग्राम सभा क्यारा द्वारा अपनी रिपोर्ट सेलेक्ट कर दी गई है, अतः उक्त सड़क का निर्माण किया जाना उचित व आवश्यक है, तथा ग्राम पंचायत क्यारा को सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु कोई भी आपत्ति नहीं है, व वनाधिकार समिति ग्राम सभा क्यारा द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत क्यारा समिति की सिफारिश का समर्थन करती है प्रस्ताव पारित है, जो कि असल मुताबिक सही व दुरुस्त है।

Sh. Suresh
Ur proes
22/12/14

25/11/2014.
क्यारा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड ठियोग
जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रधान
ग्राम पंचायत क्यारा
वि0ख0 ठियोग शिमला हि0प्र0

अनुसूचित जनजाति वनाधिकार अधिनियम 2006.

वनाधिकार समिति भूराजस्व ग्राम क्यारा!

प्रतिलिपि प्रस्ताव: संख्या - 01 जो कि दिनांक 15-11-2014 को समिति प्रधान श्री भस्तराम की अध्यक्षता में उपस्थिति सदस्य 63/125 सदस्य के द्वारा बैठक में पारित हुआ!

विषय: निर्माण सड़क चेलरी मोड़ से हरिजन बस्ति क्यारा के अन्तर्गत लगनेवाली वनक्षेत्र भूमि बारे विचार: यह है कि बैठक में उपरोक्त सम्पर्क सड़क के निर्माण करने बारे प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा गया, तथा सर्व-सम्मति से विचार विमर्श किया गया कि वनक्षेत्र क्यारा चक के अन्तर्गत सरकारी भूमि का उपयोग लगभग हैक्टेयर भूमि जो कि बिना पेड़ पौधों की है रिक्त है, उपरोक्त सड़क निर्माण के लिए प्रयुक्त है, अतः वनाधिकार समिति ग्राम क्यारा सरकार से निवेदन करती है कि उक्त हैक्टेयर भूमि जो कि खसरा नं० के अन्तर्गत आती है, उक्त भूभाग को ग्राम पंचायत क्यारा के अन्तर्गत करने हेतु सरकार से सिफारिश करती है, ताकि ग्राम क्यारा के लिए सड़क निर्माण का कार्य आसानी से किया जा सके! अतः वनाधिकार समिति ग्राम क्यारा उपरोक्त वन-क्षेत्र सरकारी भूभाग हेतु अपनी अन्नापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित है।

प्रतिलिपि: 1. ग्राम पंचायत क्यारा को अपनी सिफारिश हेतु समर्थन करने बारे। सादर प्रेषित!

(ii) उपमंडलाधिकारी (ना०) उपमंडल रियोग हेतु सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(iii) उपायुक्त महोदय, जिला-शिमला की सेवा में आगामी व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

प्रधान Mast Ram
वनाधिकार समिति
ग्राम क्यारा तह०
रियोग, जिला-शिमला

प्रधान
वन अधिकार समिति
ग्राम पंचायत क्यारा वार्ड.....
तह. रियोग जि. शिमला (हि.प्र.)

सचिव
वन अधिकार समिति
ग्राम पंचायत क्यारा वार्ड.....
तह. रियोग जि. शिमला (हि.प्र.)

सचिव
वनाधिकार समिति
ग्राम क्यारा तह०
रियोग, जिला-शिमला

कार्यालय वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत क्यारा, डा0 क्यारा, तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0

प्रस्ताव संख्या .....01..... दिनांक 7/06/2014

विषयः प्रतिनिधि प्रस्ताव संख्या वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत क्यारा, डा0 क्यारा, तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 की बैठक जो कि दिनांक .....07/06/2014..... को पंचायत प्रधान श्री प्रकाश चन्द की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रस्ताव न0 01 सर्व सम्मति से निम्नलिखित कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न हुआ।

क्र0 स0	नाम सदस्य	पिता/पति	गांव का नाम	जाति	मो0 न0	हस्ताक्षर
1.	मस्त राम S/o	स्व० रिहपुराम	क्यारा	अ० जा०	9459031291	Mast Ram
2.	कर्म चंद S/o	स्व० प्रीतम	-do-	-do-	9418688328	[illegible]
3.	गंगा राम S/o	पूर्णू	-do-	-do-	9418536430	गंगाराम
4.	भगतराम S/o	पल्टाराम	-do-	-do-	9459963766	[illegible]
5.	काशी राम S/o	शुपी	-do-	-do-	9418688276	काशीराम
6.	रमेश S/o	भाथु	-do-	-do-	9459963683	रमेश
7.	इंद्र सिंह S/o	रणिया	-do-	-do-	9459031547	इन्द्र सिंह
8.	कमलेश W/o	जयचन्द	-do-	-do-	9459031547	Kamlesh
9.	सोहरू W/o	स्व० रोशनलाल	-do-	-do-	9459089634	Sohru
10.	रूमिला W/o	जियालाल	-do-	-do-	9736490528	Ramila
11.	उषा W/o	सुभाष	-do-	-do-	9418261164	USHA
12.						
13.						
14.						
15.						

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, नियमों व उपनियमों को ग्रहण तथा सवीकार किया ।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत शिलारु में सड़क का निर्माण चेलरी मोड़ से लोअर क्यारा 0/0 से 3/465 अव्वल जंगल क्यारा चैक इस जंगल से सड़क का निर्माण होना अति अनिवार्य है।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से श्री मस्त राम प्रधान (वन अधिकार समिति) को अधिकार दिया जाता है कि वह ग्राम पंचायत क्यारा को अवगत करातें हुए पंजीकृत करवायें तथा आगामी कार्यवाही हेतू उपरोक्त समिति से अवश्य पत्र व्यवहार करें।

प्रधान

ग्राम पंचायत क्यारा
वि0ख0 ठियोग, शिमला, हि0प्र0

पंचायत समिति
ग्राम पंचायत क्यारा
विकास खण्ड ठियोग
शिमला (हि0प्र0)

कार्यालय ग्राम पंचायत क्यारा

विकास खण्ड व तह० ठियोग, जिला शिमला हि० प्र०

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

उप-प्रधान: जगत राम

प्रधान प्रकाश चन्द

सन्दर्भ..... वनाधिकार समिति क्यारा का गठन अधिनियम 2006- दिनांक 7-06-2014

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या .....01..... जो दिनांक 7-06-2014 को

प्रधान श्री ..... की अध्यक्षता में 63/125 सदस्य की

उपस्थिति में ग्राम पंचायत/ग्राम सभा क्यारा की बैठक में पारित हुआ ।

विषय: वनाधिकार समिति क्यारा का गठन :- आज दिनांक 7.6.2014 को ग्राम क्यारा में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें वनाधिकार समिति का गठन किया गया तथा प्रधान व सचिव का चयन सर्वसम्मति से किया गया।

क्रम सं०	समिति सदस्य के नाम	पिता/पति का नाम	गांव का नाम	जाति	मोबा०	पद
1.	सर्वश्री मस्तराम	S/o स्व० रिहपुराम	क्यारा	अ०जा०	9459031291	प्रधान
2.	कर्मचंद	S/o स्व० प्रीतम	-do-	-do-	9418688328	सचिव
3.	गंगाराम	S/o पूर्णू	-do-	-do-	9418536430	सदस्य
4.	भगतराम	S/o पल्टाराम	-do-	-do-	9459963766	सदस्य
5.	कांशीराम	S/o शुपी	-do-	-do-	9418688276	-do-
6.	रमेश	S/o झाथु	-do-	-do-	9459963663	-do-
7.	इंद्रसिंह	S/o रणिया	-do-	-do-	9459032547	-do-
8.	कमलेश	W/o जयचंद	-do-	-do-	9459032547	-do-
9.	सनौहरू	W/o रोशनलाल	-do-	-do-		-do-
10	रुमिला	W/o जियालाल	-do-	-do-	9736490528	-do-
11	उषा	W/o सुभाष	-do-	-do-		

अतः समिति द्वारा प्रधान व सचिव का चयन सर्वसम्मति से किया गया व प्रस्ताव पारित हुआ।

प्रतिलिपि :- (i) खण्ड विकास अधिकारी ठियोग
(ii) उपमंडलाधिकारी (नाग) उपमंडल ठियोग
(iii) जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला
(iv) उपायुक्त महोदय, जिला शिमला की सेवा में आगामी व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

प्रधान
ग्राम पंचायत क्यारा
वि०ख० ठियोग शिमला हि०प्र०
तहसील ठियोग
जिला शिमला (हि०प्र०) - 171213

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत क्यारा
विकास खण्ड ठियोग
जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायत सहायक
ग्राम पंचायत क्यारा
त.ठियोग, जिला शिमला (हि.प्र.)

(9)

Annexture-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा .....

विकास खण्ड .....क्यारा ढियोग..... जिला .....शिमला.....(हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 15-11-2014.

गणपूर्ति .....63/125..... / .....

प्रस्ताव संख्या.....1.....

विषय:.....लोक निर्माण.....विभाग/संस्था को .....चेलपी मोड़ to Lower Kiara.....
~~सड़क~~.....के निर्माण हेतू .....KIARA.....जंगल/ वन क्षेत्र
में प्रस्तावित .....0.05.78..... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा.....क्यारा.....की बैठक आज दिनांक ..
15-11-14.....को .....11 AM.....बजे, स्थान.....ग्राम क्यारा.....की गई , जिसमें .....
P.W.D.....विभाग/संस्था को .....चेलपी मोड़ Lower KIARA.....के निर्माण हेतू .....
क्यारा.....जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित .....हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबधिंत वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अनतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारें पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित .....हैक्टयर वन भूमि को ..... निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा.....क्यारा.....की सहमति दी जाती है।

स्थान.....क्यारा.....
दिनांक .....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....क्यारा.....

प्रधान
वन अधिकार समिति
ग्राम पंचायत क्यारा वार्ड
तह. ढियोग जि. ...

प्रधान
ग्राम पंचायत क्या
वि०ख० ढियोग शिमला, हि०प्र०

Annexture-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 15-11-14.

प्रस्ताव संख्या 1

वन अधिकारों समिति ग्राम सभा क्यारी की बैठक अद्य दिनांक को 11 AM बजे स्थान क्यारी में श्री / श्रीमति भरत राम की अध्यक्षता में की गई जिसमें क्यारी गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें PWD विभाग द्वारा चौपाली से Lower क्यारी के निर्माण के लिए 0.05.78 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए ग्राम वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया –

क्र0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	क्यारी	क्यारी	व्यक्तिगत अधिकार है।
2			

तदानुसार वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया –

क्र0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम
1	
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

स्थान.....
दिनांक .....

ग्राम पंचायत नयाग्रांव
तह. ठियोग जि. शिमला (हि.प्र.)

* ग्रामवासी / ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

प्रधान
ग्राम पंचायत क्यारी
वि०ख० ठियोग शिमला, हि०प्र०

कार्यालय ग्राम पंचायत कोट शिलारू

विकास खण्ड ठियोग, तह0 ठियोग, जिला शिमला, (हि0 प्र0)

प्रतिलिपि कार्यवाही बैठक ग्राम पंचायत ~~रौणी मत्याना~~ कोट शिलारू जो दिनांक 12-12-14 को प्रधान श्री सन्दीप भारद्वाज उप-प्रधान श्री ..... की अध्यक्षता में 8/9 सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई ।

प्रस्ताव संख्या T ..... दिनांक .....

विषय : निर्माण सड़क चैलरीमोड़ से हरिजन बस्ति क्यारा के अन्तर्गत लगने वाली भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे

बैठक में सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर प्रस्ताव रखा गया कि चैलरीमोड़ से हरिजन बस्ति क्यारा सड़क निर्माण में ग्राम पंचायत कोट शिलारू के राजस्व गांव कोट, व पालो के जिन लोगों की जमीन सड़क में लग रही है उनके द्वारा मिफ्ट डीड लोक निर्माण विभाग कार्यालय में दे दी गई है तथा सुरक्षित है। सरकारी भूमि के लिए अनुजनजाति वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समिति ग्राम सभा द्वारा अपनी रिपोर्ट संलग्न की गई है। अतः उपरोक्त सड़क का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। वनाधिकार समिति ग्राम सभा कोट शिलारू द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु कोट व पालो वन समिति की सिफारिश का समर्थन करती है।

प्रस्ताव पारित है।

प्रधान [signature] सचिव [signature]

कार्यालय ग्राम पंचायत कोट शिलारु

विकास खण्ड ठियोग जिला शिमला हि0 प्र0

आज दिनांक 11/06/2014 को उपायुक्त महोदय जिला शिमला से प्राप्त पत्र संख्या PCH-SML FRA/2014-132-61-70 दिनांक 30/01/2014 की अनुपालना में वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार समिति के गठन हेतू राजस्व गांव पालो की ग्राम सभा बैठक प्रधान श्री सन्दीप भारद्वाज की अध्यक्षता में आरम्भ हुई उपस्थिति सदस्यता..203..../...270..... बैठक मे निम्न कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

वनाधिकार समिति के गठन करने बारें

ग्राम सभा की बैठक मे अध्यक्ष महोदय ने वनाधिकार समिति के गठन का प्रस्ताव रखा । विस्तृत चर्चा उपरान्त निम्न सदस्यों कमेटी मे सर्वसम्मति से चुना गया । ब्यौरा निम्न है-.

क0स0	नाम सदस्य	पिता/पति का नाम	गाव का नाम	जाति	मोबाइल न0	
1	ज्ञानचन्द	हरिदत	शिलारु	सामान्य	9805651914	
2	रामलाल	मोतीराम	रेवी	सामान्य	9418068492	
3	सुरेंद्र	हरिदत	कारावग	सामान्य	9418172477	
4	रमेश	कांशीराम	पालवी	अ0जा0	9459042851	
5	चेतराम	आत्माराम	पालवी	सामान्य	9418011020	
6	मेहरसिंह	कांशीराम	पालवी	सामान्य	9459962770	
7	महेद्रलाल	लछमीनन्द	रेवी	सामान्य	8988052555	
8	महेद्र	रमेशचन्द	कारावग	सामान्य	8988078087	
9	नरेश	लालसिंह	पालवी	अ0जा0	9459042447	
10	चन्दन	रामसिंह	शिलारु	सामान्य	9816977621	
11	वीना	लचकराम	कारावग	सामान्य	98175210052	
12	उषा	कर्मचन्द	पालवी	सामान्य	9418060831	
13	विद्या	रुपलाल	रेवी	सामान्य	9459411918	
14	लता	प्रकाश	रेवी	सामान्य	9418071815	
15	पुष्पा	रविद्र	पालवी	सामान्य	9459973560	

उपरोक्त चयनित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रधानपद के लिए श्री चेतराम को सचिव पद के लिए श्रीमति रोजी को चुना गया । 1

प्रतिलिपि- उपायुक्त महोदय जिला शिमला की सेवा मे आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषितहै।

2 निदेशक महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सेवा मे आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी जिला शिमला की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है

4 सहायक आयुक्त विकास एवं खण्ड विकास अधिकारी की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

प्रधान
ग्राम पंचायत कोट - शिलारु
वि0 ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कोट शिलारु
वि0 ठियोग

कार्यालय वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत शिलारु, वार्ड पालो, डा0 शिलारु, तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0

प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक.....

विषयः प्रतिनिधि प्रस्ताव संख्या वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत शिलारु, पार्ड पालो, डा0 शिलारु, तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 की बैठक जो कि दिनांक ..... को पंचायत प्रधान श्री संदीप शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से निम्नलिखित कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न हुआ।

क्र0 स0	नम सदस्य	पिता/पति	गांव. का नाम	जाति	मो0 न0	हस्ताक्षर
1.	ज्ञान चन्द	हरिदत्त	शिलारु	सामान्य	9805651914	
2.	रामलाल	मोतीराम	रेवी	सामान्य	9418068492	
3.	सुरेन्द्र	हरिदत्त	कारावग	सामान्य	9418172477	
4.	रमेश	कांशीराम	पालवी	अ0 जा0	9459042851	
5.	चेतराम	आत्माराम	पालवी	सामान्य	9418011020	
6.	मेहर सिंह	कांशीराम	पालवी	सामान्य	9459962770	
7.	महेन्द्र लाल	लछमी नन्द	रेवी	सामान्य	8988052555	
8.	महेन्द	रमेश चन्द	कारावग	सामान्य	8988078087	
9.	नरेश	लाल सिंह	पालवी	अ0 जा0	9459042447	
10.	चन्दन	राम सिंह	शिलारु	सामान्य	9816977621	
11.	वीना	लायक राम	कारावग	सामान्य	9817510052	
12.	उषा	कर्मचन्द	पालवी	सामान्य	9418060831	
13.	विद्या	रुपलाल	रेवी	सामान्य	9459411918	
14.	लता	प्रकाश	रेवी	सामान्य	9418071815	
15.	पुष्पा	रविन्द्र	पलवी	सामान्य	9459973560	

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, नियमों व उपनियमों को ग्रहण तथा सवीकार किया ।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत शिलारु में सड़क का निर्माण चेलरी मोड़ से लोअर क्यारा 0/0 से 3/465 अव्वल जंगल पालो चैक इस जंगल से सड़क का निर्माण होना अति अनिवार्य है।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से श्री चेतराम वर्मा प्रधान (वन अधिकार समिति) को अधिकार दिया जाता है कि वह ग्राम पंचायत शिलारु को अवगत कराते हुए पंजीकृत करवायें तथा आगामी कार्यवाही हेतू उपरोक्त समिति से अवश्य पत्र व्यवहार करें।

अनुसूचित जनजाति वनाधिकार अधिनियम 2006

वनाधिकार समिति

पूरा जस्व ग्राम पालवी (किन्नौर)

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या No — 1 जो कि प्रधान श्री चेतराम वर्मा की अध्यक्षता में सदस्यों के द्वारा बैठक में पारित हुआ

विषय:— चेलरी मोड़ से हरिजन बस्ती power क्यारा के अन्तर्गत लगने वाली वन भूमि बारे विचार विमर्श 4-12-14 को समिति बैठक में विचार हुआ कि उपरोक्त सड़क निर्माण बारे जो वन भूमी चक पालों में सड़क में लग रही है उसे लोक निर्माण को सड़क निर्माण के लिए देने की सिफारिश करती है क्योंकि इस सड़क से क्यारा हरीजन बस्ती तथा इस भोग के बहुत गांव सड़क की प्रविधा से जुड़ते हैं। इस वन भूमि पर सड़क निर्माण से किसी गांव वाले को कोई एतराज नहीं प्रस्ताव सर्व सामति से पारित है।

नकल प्रस्ताव अक्षरों के मुताबिक सही है।

प्रधान
वन अधिकार कमेटी
ग्राम पंचायत शिलारू वार्ड.....
तह. ठियोग जिला शिमला (हि०प्र०)

सचिव
वन अधिकार कमेटी
ग्राम पंचायत शिलारू वार्ड.....
तह. ठियोग जिला शिमला (हि०प्र०)

Copy to
(i) ग्राम पंचायत कोट किन्नौर प्रस्ताव हेतु
(ii) उप मण्डल अधिकारी ठियोग

(9)

Annexture-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा ..... पालवी शिलाद .....

विकास खण्ड ..... हिपोग ..... जिला ..... शिमला ..... (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक ..... 4.12-14.

गणपूर्ति ..... ~~18/9~~ 14/15 / .....

प्रस्ताव संख्या ..... 1 .....

विषयः ..... लोक निर्माण ..... विभाग / संस्था को ..... चेवरी मोड़ से Lower स्थान ..... सड़क ..... के निर्माण हेतू ..... ~~स्थान~~ पालवी ..... जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित ..... 0.20.40 ..... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा ..... पालवी ..... की बैठक आज दिनांक ..... 4.12-14 ..... को ..... 11 AM ..... बजे, स्थान ..... शिलाद ..... की गई , जिसमें ..... PWD ..... विभाग / संस्था को ..... सड़क ..... के निर्माण हेतू ..... पालवी ..... जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित ..... 0.20.40 ..... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबधिंत वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अनतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारें पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित ..... 0.20.40 ..... हैक्टयर वन भूमि को ..... सड़क ..... निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा ..... पालवी ..... की सहमति दी जाती है।

स्थान ..... शिलाद

दिनांक ..... 4.12.14.

स्थान ..... Rerm

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा .....

Annexture-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या..... I. दिनांक 4-12-14

वन अधिकारों समिति ग्राम सभा पालवी की बैठक आज दिनांक ..... को 11 AM बजे स्थान शिविर में श्री / श्रीमति श्री चैतराम कर्मा की अध्यक्षता में की गई जिसमें पालवी गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें P.W.D विभाग द्वारा चौकी गोड़ से लोअर पारा के निर्माण के लिए 0.20.40 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया –

क्र0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	पालवी	पालवी	व्यक्ति गत वन अधिकार
2			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इनकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया –

क्र0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम
1	
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करता है।

या

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान..... शिविर

दिनांक 4-12-14

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा पालवी

* भूमिधारी / ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

कार्यालय ग्राम पंचायत कोट शिलारू

विकास खण्ड ठियोग, तह0 ठियोग, जिला शिमला, (हि0 प्र0)

प्रतिलिपि कार्यवाही बैठक ग्राम पंचायत ~~सैपी मत्याना~~ कोट शिलारू जो दिनांक 12-12-14 को प्रधान श्री संदीप भारद्वाज की अध्यक्षता में ..... उप-प्रधान श्री ..... 8/9 सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई ।

दिनांक 12-12-14

प्रस्ताव संख्या 1

विषय : निर्माण सड़क चैलरीमोड़ से हरिजन बस्ति तक क्यारा के अन्तर्गत लगने वाली भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे

बैठक में सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर पारित किया गया कि चैलरीमोड़ से हरिजन बस्ति तक क्यारा सड़क निर्माण में ग्राम पंचायत ~~[illegible]~~ कोट शिलारू के राजस्व गांव कोट, व पालो के जिन लोगों की जमीन सड़क में ले रही है उनके द्वारा बिफर हीड लोक निर्माण विभाग कार्यालय में दे दी गई है तथा सुरक्षित है। सरकारी भूमि के लिए अनुसूचित जनजाति वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समिति ग्राम सभा द्वारा अपनी सिफारिश रेजल्यूशन की गई है। अतः उपरान्त सड़क का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। वनाधिकार समिति ग्राम सभा कोट शिलारू द्वारा पारित वन क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु कोट व पालो वन समिति की सिफारिश का समर्थन करती है।

प्रस्ताव पारित है।

प्रधान

सचिव

प्रधान
ग्राम पंचायत कोट शिलारू
वि०ख० ठियोग, शिमला, हि०प्र०

कार्यालय ग्राम पंचायत कोट शिलारु

विकास खण्ड ठियोग जिला शिमला हि0 प्र0

आज दिनांक 21/07/2014 को उपायुक्त महोदय जिला शिमला से प्राप्त पत्र संख्या PCH-SML FRA/2014-132-61-70 दिनांक 30/01/2014 की अनुपालना में वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार समिति के गठन हेतू राजस्व गांव कोट की ग्राम सभा बैठक प्रधान श्री सन्दीप भारद्वाज की अध्यक्षता में आरम्भ हुई उपस्थिति सदस्यता 135 ~~68~~ रही । बैठक मे निम्न कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

वनाधिकार समिति के गठन करने बारें

ग्राम सभा की बैठक मे अध्यक्ष महोदय ने वनाधिकार समिति के गठन का प्रस्ताव रखा । विस्तृत चर्चा उपरान्त निम्न सदस्यों कमेटी मे सर्वसम्मति से चुना गया । ब्यौरा निम्न है-.

क0स0	नाम सदस्य	पिता/पति का नाम	गाव का नाम	जाति	मोबाइल न0	
1	पूर्णचन्द	हरिदत	मलैर	सामान्य	9418646787	
2	प्रमोद	बालकराम	कोट	अ0जा0	9418064901	
3	जीतराम	रतिराम	कोट	अ0जा0		
4	राजेद्र	कांशीराम	कोट	अ0जा0	9817507511	
5	रमन	परमानन्द	सुनपर	अ0जा0	9459818259	
6	दलीप	बलूराम	भनैरो	अ0जा0	9817837126	
7	केशू	कांशीराम	कोट	अ0जा0	9459819015	
8	नरेश	बालारम	कोट	अ0जा0	9459964543	
9	रीना	केशवराम	कोट	अ0जा0		
10	ईद्रा	रोशनलाल	कोट	अ0जा0	9817419104	
11	मिनाक्षी	पवन	कोट	अ0जा0	9459963732	
12	कान्ता	मानसिंह	कोटकर्याली	अ0जा0	9817393575	

उपरोक्त चयनित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रधानपद के लिए श्री पुर्णचन्दश्याम को व सचिव पद के लिए श्री जीतराम को चुना गया ।

प्रतिलिपि- निदेशक महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सेवा मे आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

2 उपायुक्त महोदय जिला शिमला की सेवा मे आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी जिला शिमला की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है

4 उपमण्डल अधिकारी नागरिक ठियोग की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

5 सहायक आयुक्त (वि0) एवं खण्ड विकास अधिकारी की सेवा मे आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

PRADHAN SECY

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

GRAM PANCHAYAT KOT SHILARU
DEV. BLOCK THEOG, SHIMLA, H.P

कार्यालय वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत शिलारु, वार्ड कोट, डा0 शिलारु, तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0

प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक 21-7-14

विषयः प्रतिनिधि प्रस्ताव संख्या वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत शिलारु, वार्ड कोट, डा0 शिलारु, तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 की बैठक जो कि दिनांक 21-7-14 को पंचायत प्रधान श्री संदीप शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से निम्नलिखित कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न हुआ।

क्र0 स0	नम सदस्य	पिता/पति	गांव का नाम	जाति	मो0 न0	हस्ताक्षर
1.	पूर्णचन्द S/o	हरिदत्त	मलैर	सामान्य	9418646787	Puran Chand
2.	प्रमोद S/o	बालकराम	कोट	अ0 जा0	9418064901	[illegible]
3.	जीतराम S/o	रतिराम	कोट	-do-		[illegible]
4.	राजेन्द्र S/o	कांशीराम	कोट	-do-	9817507511	[illegible]
5.	रमन S/o	परमानन्द	सुनपुर	-do-	9459818259	[illegible]
6.	दलीप S/o	बलूराम	भूनैरो	-do-	9817837126	[illegible]
7.	केशू S/o	कांशीराम	कोट	-do-	9459819015	[illegible]
8.	नरेश S/o	बालाराम	कोट	-do-	9459964543	नरेश
9.	रीना	केशवराम	कोट	-do-		रिना
10.	इंद्रा	रोशनलाल	कोट	-do-	9817419104	indra
11.	मिनाक्षी	पवन	कोट	-do-	9459963732	[illegible]
12.	कान्ता	मानसिंह	कोटकर्याली	-do-	9817393575	कान्ता
13.						
14.						
15.						

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, नियमों व उपनियमों को ग्रहण तथा सवीकार किया ।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत शिलारु में सड़क का निर्माण चेलरी मोड़ से लोअर क्यारा 0/0 से 3/465 अव्वल जंगल कोट चैक इस जंगल से सड़क का निर्माण होना अति अनिवार्य है।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से श्री पूर्ण चन्द प्रधान (वन अधिकार समिति) को अधिकार दिया जाता है कि वह ग्राम पंचायत शिलारु को अवगत कराते हुए पंजीकृत करवायें तथा आगामी कार्यवाही हेतू उपरोक्त समिति से अवश्य पत्र व्यवहार करें।

अनुसूचित जनजाति वनाधिकार अधिनियम 2006.
वनाधिकार समिति भूराजस्व ग्राम कोट-शिलारू।

प्रतिलिपि प्रस्ताव :- संख्या - 01 जो कि दिनाँक 04-12-2014 को समिति प्रधान श्री पूर्ण चन्द की अध्यक्षता में उपस्थित सदस्य 135/268 सदस्य के द्वारा बैठक में पारित हुआ।

विषय :- निर्माण सड़क चेलरी मोड़ से हरिजन बस्ति क्यारा के अन्तर्गत लगने वाली वन क्षेत्र भूमि बारे विचार :- यह है कि बैठक में उपरोक्त सम्पर्क सड़क के निर्माण करने बारे प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा गया, तथा सर्वसम्मति से विचार विमर्श किया गया कि वन क्षेत्र कोट-शिलारू-चक के अन्तर्गत सरकारी भूमि का उपयोग लगभग हैक्टेयर भूमि जो कि बिना पेड़ पौधों की की है रिक्त है, उपरोक्त सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त है, अतः वनाधिकार समिति ग्राम कोट-शिलारू सरकार से निवेदन करती है कि उक्त हैक्टेयर भूमि जो कि खसरा नं. के अन्तर्गत आती है, उक्त भू भाग को ग्राम पंचायत कोट-शिलारू के अन्तर्गत करने हेतु सरकार से सिफारिश करती है, ताकि ग्राम क्यारा के लिए सड़क निर्माण का कार्य आसानी से किया जा सके। अतः वनाधिकार समिति कोट-शिलारू उपरोक्त वन क्षेत्र सरकारी भू-भाग हेतु अपनी अन्नापति प्रमाण पत्र जारी करती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित है।

प्रतिलिपि :- (i) ग्राम पंचायत कोट-शिलारू को अपनी सिफारिश हेतु समर्थन करने बारे सादर प्रेषित।
(ii) उपमण्डलाधिकारी (ना०) उपमंडल ठियोग हेतु सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
(iii) उपायुक्त महोदय, जिला-शिमला की सेवा में आगामी व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

प्रधान :-
वनाधिकार समिति
ग्राम कोट
तह०- ठियोग
जिला- शिमला

प्रधान वनाधिकार समिति ..... (हि०प्र०)

सचिव
वनाधिकार समिति
ग्राम - कोट
तह० - ठियोग
जिला- शिमला

सचिव वने अधिकार कमेटी ग्राम पंचायत ..... तह० .....

Annexture-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा ....कोट निर्माण....
विकास खण्ड ....टिहरी.... जिला ..... (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक ....4-12-14.

प्रस्ताव संख्या — I

गणपूर्ति .....

विषय ....लोक निर्माण.... विभाग / संस्था को ....चेतरी मोड़ से लोयर क्वारा.... के निर्माण हेतु ....कोट.... जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित ....0.01.20.... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा ....कोट.... की बैठक आज दिनांक ....4.12-14.... को ....11 AM.... बजे, स्थान ..... की गई, जिसमें ....D.W.S.... विभाग / संस्था को ..... के निर्माण हेतु ..... जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित ....0.01.20.... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अनतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित ..... हैक्टेयर वन भूमि को ..... निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा ..... की सहमति दी जाती है।

प्रधान
ग्राम सभा
तह. टिहरी

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा .....

स्थान ....कोटा....
दिनांक ....4-12-14.

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा पालवी शिमला
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 4-12-14

ग्राम सभा पालवी की बैठक आज दिनांक 4-12-14 को 00AM बजे, स्थान पालवी में श्री / श्रीमति चेतराम की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें P.W.D. विभाग द्वारा पुलिस चौकी के निर्माण के लिए 0.28 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	पालवी	पालवी	चरागाह का अधिकार
2.			

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार ..... जंगल / वन क्षेत्र मे कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नही हुआ

प्रधान
वन अधिकार समिति
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

स्थान शिमला
दिनांक 4-12-14

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** *प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।*

Scanned by CamScanner

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....1..... दिनांक 15-11-14

ग्राम सभा.....क्यारा.....की बैठक आज दिनांक.....को.....
11.00 बजे, स्थान.....क्यारा.....में श्री/श्रीमति.....मस्तराम.....की अध्यक्षता में
की गई जिसमें.....गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत.....जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें P.W.D. विभाग द्वारा चेकरी मोड़ से Lower क्यारा के निर्माण के लिए 0.05.78 हेक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	क्यारा	क्यारा	चरान कटान का अधिकार है।
2.			

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:-

क्र0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार .....जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

प्रधान Mast Ram सचिव
वन अधिकार समिति
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा क्यारा
प्रा. पं. शिलाल तह. ठियोग (हि.प्र.)

स्थान क्यारा
दिनांक 15/11/14

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Scanned by CamScanner

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या....1.....

दिनांक...4-12-14

ग्राम सभा....11 AM.....की बैठक आज दिनांक.....को.....बजे, स्थान....कोट शिलारु.....में श्री/श्रीमति....पूर्ण चन्द.....की अध्यक्षता में की गई जिसमें.....गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत.....जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें P.W.D.....विभाग द्वारा....चलती मोड़ to Lower [illegible]....के निर्माण के लिए 0.26.8 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.			
2.	कोट	कोट 0.01.20	चरान कहान का अधिकार है।

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:–

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार .....जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान....कोट शिलारु.....
दिनांक....4.12.14.....

प्रधान [signature] सचिव
वन अधिकार समिति
राजस्व ग्राम कोट
ग्राम सभा.....
ग्रा. पं. शिलारु तह. टिहरी (हि.प्र.)

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Scanned by CamScanner